न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 315/2014,(जी.सी.एम.एस. न. 2017/00092) पीठासीन अधिकारी:—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

हण्डू पुत्र सुखपाल जाति जाटव निवासी कस्बा डीग तहसील डीग

—वादी

1. विजय पुत्र नानगा
2. श्रीमति प्रेम पत्नी स्व. लालचन्द
3. योगेश
4. सोनू
5. तेजपाल } पिस0 लालचन्द
6. सूरज
7. श्रीमति भगवती पत्नी अमर सिंह
8. राकेश
9. सन्नी } पिस0 अमर सिंह
10. श्रीमति विमलादेवी पत्नी विट्ठूराम

} जातियान जाटव नि0 किशनपुर मौहल्ला डीग तह0डीग

11. तहसीलदार तहसील डीग लैण्ड होल्डर राज0 सरकार

—प्रति0

दावा बाव उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज0 टि0 एक्ट,

दिनांक: 19.06.2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 1191/0.31,वाके ग्राम कौरेर तहसील डीग में स्थित है। आराजी खसरा नम्बरान 766/0.21, 757/0.20, बाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग में स्थित है। नवीन आराजी खसरा नम्बर 766/0.21, साविक आराजी खसरा नम्बर 663/1—10 बाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग से बनाया गया है व नवीन खसरा नम्बर 757/0.20 साविक खसरा नम्बर 658 रकबा एक बीघा एक विस्वा से बनाया गया है। खसरा नम्बर 766/0.21, वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। नवीन आराजी खसरा नम्बर 766/0.21 ऐयर साविक आराजी खसरा नम्बर 663 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा से बनाया गया है। साविक खसरा नम्बर 663 रकबा एक बीघा 10 विस्वा की नवीन पैमाईश में रकबा 24 ऐयर होता है जो साविक के मुकावले 03 ऐयर कम आया है। इसी प्रकार नवीन आराजी खसरा नम्बर 757/0.20, प्रति0 संख्या 01 के पिता व प्रति0 संख्या 02 व 7 के ससुर व प्रति0 संख्या 03 लगायत 06 व प्रति0 संख्या 08 व 09 के बाबा नानगा हिस्सा 1/2 व प्रति0 संख्या 10 हिस्सा 1/2 के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। इस नवीन आराजी खसरा नम्बर 757/0.20, को साविक खसरा नम्बर 658 रकबा एक वीघा एक विस्वा के साथ साथ वादी के साविक खसरा नम्बर 663 मिन से बनना दिखाया गया है। एक वीघा एक विस्वा की नवीन पैमाईश में आराजी अधिकतम 17 ऐयर होती है। वर्तमान में प्रति0 संख्या 01 के पिता व प्रति0 संख्या 02 व 5 के ससुर व प्रति0 संख्या 03 लगायत 06 व प्रति0 संख्या 8 व 9 के बाबा नानगा हिस्सा 1/2 व प्रति0 संख्या 10 हिस्सा 1/2 के हो

रहे इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। प्रति0 संख्या 11 तहसीलदार तहसील डीग लैण्ड होल्डर है तथा समस्त राजस्व रिकार्ड उनकी तहवील में रहता है इसलिए फोरमल पक्षकार बनाया गया है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 757/0.20 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग के हिस्सा 3/20 पर वादी वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा वर्तमान में जो इन्द्राज प्रति0 संख्या 01 के पिता व प्रति0 संख्या 02 व 5 के ससुर व प्रति0 संख्या 03 लगायत 06 व प्रति0 संख्या 8 व 9 के बाबा नानगा हिस्सा 1/2 व प्रति0 संख्या 10 हिस्सा 1/2 पर जो दर्ज किया जा रहा है को कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 लगायत 08 व 10 की ओर से दिनांक 13.03.2015 को श्री नीरज कुमार वर्मा एड0 उपस्थित आये। दिनांक 20.03.2015 को प्रति0 की ओर से प्रार्थना पत्र ओदश 7 नियम 11 जा.दी. पेश किया गया। दिनांक 16.07.2015 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. को मैण्टेनेबिल नहीं होने से अस्वीकार किया गया। दिनांक 18.08. 2015 को प्रति0 संख्या 01 लगायत 8 व 10 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। प्रति0 संख्या 01 लगायत 8 व प्रति0 संख्या 10 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। जिसमें वर्णित किया गया है कि पक्षकारान से प्रति0 संख्या 9 सन्नी नाबाबलिग है। वादी सन्नी के विरूद्व बिना कोई संरक्षक के दावा पेश किया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 766 वाके ग्राम किशनपुर का वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी होना व हाल आराजी खसरा नम्बर 757/0.20 वाके ग्राम किशनपुर के हिस्सा 1/2 का प्रति0 संख्या 10 विमला देवी की कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा होना स्वीकार है। जब वादी की खातेदारी का कोई रकबा प्रति0 की खातेदारी के किसी रकबे में ही नहीं मिला है और खेतों की मेंड साविक के मुकावले आज भी मौजूद है तो ऐसी स्थिति में वादी हाल आराजी खसरा नम्बर 757/0.20 वाके ग्राम किशनपुर के हिस्सा 3/20 या उसके अन्य किसी भी हिस्से पर अपने आपको दर्ज करा पाने या अन्य कोई दादरसी भी खिलाफ प्रति0 प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 757/0.20 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग से वक्त निर्णय दिनांक 06.08.2010 से प्रति0 संख्या 01 लगायत 9 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है और मुताविक निर्णय दिनांक 06.08.2010 उनवानी मुकदमा नानगा बनाम गोरधनी मुकदमा नम्बर 260/07, के हाल आराजी खसरा नम्बर 757/0.20 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग गोरधनी पत्नी मंगल व डालचन्द ,बबली,गुड्डू पुत्रगण स्व. मंगल जाति जाटव नि0 किशनपुर तहसील डीग व विमलादेवी पत्नी मिठ्ठूराम जाति जाटव नि0 किशनपुर कस्बा डीग के हिस्से कब्जे काश्त की आराजी है और वादी द्वारा इस मुकदमे में उक्त गोरधनी पत्नी स्व0 मंगल व डालचन्द,बबलू,गुड्डू पुत्रगण स्व0 मंगल को पक्षकार बनाये बिना व प्रति0 संख्या 01 लगायत 9 को गलत तरीके पर बतौर प्रति0 पक्षकार मुकदमा बनाते हुए यह दावा विधि विरूद्व रूप से गलत तथ्यों के साथ पेश किया गया है। अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 30.06.2017 को साक्ष्यवादी में हण्डू का शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 10.11.2020 को वादी हण्डू के बयान दर्ज किये गये। प्रति0 को साक्ष्य पेश किये जाने हेतु कई अवसर न्यायहित में प्रदान किये गये परन्तु प्रति0 द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई, दिनांक 20.01.2023 को साक्ष्य प्रति0 बन्द की गई। साथ ही प्रति0 वकील श्री नीरज वर्मा द्वारा प्रति0 की ओर से पैरवी किये जाने से इन्कार किया गया। **प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आये ऐसी स्थिति में वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी** गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि आराजी खसरा नम्बर 757/0.20 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग के हिस्सा 3/20 पर वादी वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा वर्तमान में जो इन्द्राज प्रति0 संख्या 01 के पिता व प्रति0 संख्या 02 व 5 के ससुर व प्रति0 संख्या 03 लगायत 06 व प्रति0 संख्या 8 व 9 के बाबा नानगा हिस्सा 1/2 व प्रति0 संख्या 10 हिस्सा 1/2 पर जो दर्ज किया जा रहा है को कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे। उक्त विवरण अनुसार हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टि0 एक्ट, को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :—

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने से **स्वीकार** किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 757/0.20 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग के हिस्सा 3/20 पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में जो इन्द्राज प्रति0 संख्या 01 के पिता व प्रति0 संख्या 02 व 5 के ससुर व प्रति0 संख्या 03 लगायत 06 व प्रति0 संख्या 8 व 9 के बाबा नानगा हिस्सा 1/2 व प्रति0 संख्या 10 हिस्सा 1/2 पर जो दर्ज किया जा रहा है, को कलमजन किये जाने तथा प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner